



क्रमांक एफ.1(1)संस्था-1/रीपा/2001/पार्ट-11/2017/8169

दिनांक 09/07/2025

कार्यालय-आदेश

शासन सचिव कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.9(2)(59)कार्मिक/क-3/97/पार्ट-I दिनांक 23.07.2001 के अनुसरण में इस संस्थान के पूर्व आदेश क्रमांक 24025-46 दिनांक 26.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14 की धारा 4(1) की अनुपालना में संस्थान में महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. श्रीमती शकुन्तला चौधरी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. मीनाक्षी खंगारोत, एसोसिएट प्रोफेसर (समाज शास्त्र) | सदस्य सचिव |
| 3. डॉ. पूजा सैनी, अनुसंधान अधिकारी | सदस्य |
| 4. डॉ. प्रमिला संजय, सिदार्थ एन.जी.ओ. | गैर सरकारी सदस्य |
| 5. श्री गजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | पुरुष सदस्य |

(जय सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन एवं
विभागाध्यक्ष

क्रमांक एफ.1(1)संस्था-1/रीपा/2001/पार्ट-11/2017/8170-85 दिनांक 09/07/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जयपुर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. मधुलिका अरोड़ा, ए.सी.पी. (उपनिदेशक) को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. संबंधित अध्यक्ष/सदस्यगण।
9. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
10. निजी सहायक ग्रेड-द्वितीय, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड-नेहरू भवन/पटेल भवन/विश्रान्ति, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर
12. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Document certified by JAI SINGH
<jaising001@gmail.com>

Digitally Signed by Jai Singh
Designation: Additional
Director
Date :09-07-2025 04:08:02